

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00263

ग्राम जनता मण्डाभीम सिंह तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर जरिये आयुक्त

- 1 शंकर सिंह राजपूत पुत्र स्व० हेमसिंह राजपूत
- 2 श्याम सिंह राजपूत पुत्र स्व० श्री विजय सिंह राजपूत
- 3 मोहन लाल कुमावत पुत्र स्व० श्री रतन लाल
- 4 राधाकृष्ण कुमावत पुत्र हनुमान लाल कुमावत
- 5 छोटाराम कुमावत पुत्र घीसाराम कुमावत
- 6 हनुमान कुमावत पुत्र घीसालाल कुमावत
- 7 सोहन लाल प्रजापत पुत्र छोटाराम प्रजापत
- 8 प्रभुदयाल कुमावत पुत्र कजोडमल कुमावत

समस्त निवासी मण्डाभीम सिंह तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

-अपीलान्टस

बनाम

1. भूरा पुत्र समरथ (मृतक)
- 1/1. श्रवण सिंह पुत्र भूरा, जाति राजपूत निवासी मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. नारायण लाल कुमावत पुत्र बाछूराम
3. शंकर लाल अग्रवाल पुत्र सीताराम अग्रवाल
4. सुनील शर्मा पुत्र गिरधर गोपाल शर्मा
5. मालचन्द अग्रवाल पुत्र रामेश्वर लाल
6. मोहन भंगार पुत्र हनुमान भंगार (यादव)
7. समंदर सिंह राजपूत पुत्र भंवर सिंह राजपूत
8. घीसाराम गुर्जर पुत्र कालूराम गुर्जर
9. छीतरमल शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा
10. गुलाबचन्द सोनी पुत्र स्व० बालूराम सोनी
11. नेमीचन्द मीणा पुत्र गोपी मीणा
12. रामचन्द्र रैगर पुत्र धानाराम रैगर
13. फूलचन्द सैन पुत्र मोहन लाल सैन
14. भंवर सिंह जाट पुत्र कानाराम जाट
15. जिवणराम पुत्र पेमाराम रैगर
16. बृजनन्दन कुमावत पुत्र फूलचन्द कुमावत
17. गोविन्द मुसायब पुत्र हनुमान कुमावत
18. मोहन लाल अजमेरा पुत्र मूलचन्द अजमेरा
19. गणपत (अग्रवाल) गर्ग पुत्र भैरूलाल गर्ग
20. कजोडमल पुत्र लक्ष्मीनारायण कुमावत
21. लक्ष्मीनारयण दम्बीवाल पुत्र दयालराम
22. राधेश्याम कुमावत पुत्र स्व० रामेश्वर लाल
23. भगवान सहाय कुमावत पुत्र नन्दराम कुमावत
24. राधावल्लभ अजमेरा पुत्र रामेश्वर लाल अजमेरा
25. मदन सिंह मीणा पुत्र गोमाराम मीणा
- समस्त निवासीयान मण्डाभीमसिंह, पंचायत समिति जोबनेर, मु० सांभर, जिला जयपुर।
26. सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह पंचायत समिति जोबनेर मु० सांभर जिला जयपुर।
27. उप वन संरक्षक, जयपुर जिला जयपुर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

रेश्मिदेव

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व 1956 संपत्ति धारा 9 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर दिनांक 20.03.2018 प्रार्थना पत्र संख्या
203/2016 उनवानी आम जनता मण्डामीमसिंह बनाम भूरा

उपस्थित—

1. श्री बी.एल. वर्मा, वकील अपीलान्त
2. श्री संजय शर्मा, वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 27 व 28 की ओर से

निर्णय

दिनांक -05.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 20.03.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र आम जनता ग्राम मण्डा भीमसिंह के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 की ग्राम मण्डामीमसिंह के खसरा नम्बर 271 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 273 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 274 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 278 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 8 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा भूमि की चली आ रही खातेदारी को उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 03.05.1962 एवं तहसीलदार के आदेश क्रमांक 493/आर.ए. दिनांक 06.06.1962 के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 16.09.1962 द्वारा सिवायचक अंकित की गई। इस विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आदेश क्रमांक विविध (82) 779 दिनांक 26.08.1982 का आदेश पत्र सन्दर्भित किया है। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 26.08.1982 से व्यथित होकर आम जनता मण्डामीमसिंह ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर के यहां अपील की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20.03.2018 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) सारहीन होने के कारण खारिज करने के आदेश पारित किये गये हैं।
3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 20.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त आम जनता मण्डामीमसिंह वगै० द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन कमेटी की दिनांक 28.05.1976 की सलाह के अनुसार अपने आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 का आदेश पत्र से गत खातेदारान को पुनः आवंटन को निरस्त करने एवं प्रार्थना पत्र संख्या 203/2016 उनवानी आम जनता मण्डामीम सिंह वगै० बनाम भूरा पुत्र समरथा दरोगा (मृतक) वगै० न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 20.03.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. वकील अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आम जनता मण्डामीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर के 32 आदमियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश क्रमांक विविध (82)/779 दिनांक 26/08/1982 के विरुद्ध एक शिकायत प्रस्तुत की थी आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 273 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 278 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मण्डामीमसिंह की खातेदारी चली आ रही थी जिसे नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 16/09/1962 के अन्तर्गत भूमि समर्पण के अन्तर्गत सिवाय चक अंकित करते हुए राजकीय हित में निहित की गई थी एवं इसके बाबत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार फुलेरा के आदेश 06/06/1962 एवं श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब सांभर के आदेश दिनांक 03/05/1962 जारी किये गये थे। उसी भूमि को उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने

अपने आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 28.08.1982 के अन्तर्गत आवंटन कमेटी दिनांक 28.05.76 के निर्णय के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि वापस भूरा कल्द समर्थ दरगा के आवंटन सलाहकार समिति के आदेश का संदर्भ अंकित करते हुए आवंटन कर दी। शिकायत बिन्दुओं पर अपील संख्या 203/2016 दर्ज करके समुचित सुनवाई के उपरान्त अतिरिक्त जिला कलक्टर - चतुर्थ, जयपुर ने उपरोक्त शिकायत दिनांक 20/03/2018 को निरस्त कर दी गयी।

बिन्दु संख्या (प) :- यह कि प्रार्थना पत्र 34 व 1 बाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें निगरानी देरी ना होने से यह प्रार्थना पत्र संघारण योग्य नहीं बताया है।

चुनीती का आधार :- यह कि गलत कार्यवाही को चुनीती दिये जाने की कोई सीमा नहीं होती है एवं यह प्रकरण राजकीय हानि एवं जनहित से जुड़ा हुआ है। जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय ने मैरिट पर निर्णय नहीं करके आदेश पारित किये हैं उक्त आदेश न्याय हित में व मैरिट के हित में अपास्त किया जाना आवश्यक है।

बिन्दु संख्या (पप) :- इस प्रकरण में नामान्तरकरण की कार्यवाही भू-अमितेख अधिकारी/ भूमिधारी तहसीलदार द्वारा स्वीकार की जानी चाहिये थी न कि भू-अमितेख अधिकारी/ग्राम पंचायत द्वारा। अतः इस प्रकरण में धारा 55 की कार्यवाही की पालना हुई है या नहीं, यह स्थापित नहीं किया जा सकता है। अतः धारा 55 के तहत यह कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा पीडित खातेदारों की समस्या को सुनकर दिनांक 15.08.1986 को आदेश जारी किया गया था कि " कागजात पेश हुए। जोरा-भागीरथा-भूरा-काना-वजीरा-नानू व कालू, भूरा मय वकील श्री जगमोहन प्रसाद हाजिर हैं। उपरोक्त उपस्थित कास्तकारान ने अपने उजरात लिखित में पेश किये गए। उजरात को सुना गया। इन कास्तकारान का कहना है कि हम उस जमीन को चारागाह के लिए देने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि यह ही उनके कमाने खाने का साधन है। यदि उन्हें इस जमीन के एवज में दूसरी जमीन दे दी जावे तो वे इस जमीन को देने को तैयार हैं। अतः असल कागजात वापस भेजकर तहसील को लिखा जावे कि यदि गांव वालों को इस जमीन की आवश्यकता वास्ते चारागाह है तो इन कागजात को अलाटमेन्ट कमेटी में रखकर व इनको इसके बदले में दूसरी जमीन का अलाट करने का प्रस्ताव पास करके फिर पत्रावली मारफ्त एस.डी.ओ. जी यहां वास्ते आगामी उचित आदेश भेजी जावे। आज्ञा सुनाई गई। ता. 15.08.1986। " नये निर्देशों की पालना के साथ प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में भूमि का समर्पण पूर्ण हुआ ही नहीं है।

चुनीती के आधार :- अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर का यह निष्कर्ष निराधार है। आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 8 बीघरा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 273 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 278 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मण्डामीमसिह नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 16/09/1982 को पंचायत की मीटिंग में पेश होने के कारण धारा 55 के तहत खातेदार ने उक्त जमीन का छुटकारा पेश कर दिया है। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम नं. 14 में मुताबिक हुक्म श्रीमान तहसीलदार साहब मु. फुलेरा दिनांक 06/06/1982 एव क्रमांक 493 / आरए श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब सांभर दिनांक 03/05/1982 के अन्तर्गत नमान्तरकरण पेश हुआ। भूमि सिवाय चक अंकित हो गई यानि भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयी।

RRD 1966 Har Narain Vs. Board of Revenue for Raj., D.B. Civil Writ Petition No- 357/63, decided on 30/11/1965 (a) में निम्न तजबीज दी हुई है- Raj. Tenancy Act, Sec- 55 (before amendment) - Two modes of surrender of holdings provided & By giving up possession of holding-Surrender may also be in writing and attested by Sarpanch or Village Headman or Chairman of Municipal Board& Board of Revenue held] was ot in error in accepting evidence of surrender even though it was not in writing and attested., page 31 to 34 (Para 4). blh rjg RRD 1968 Yasin Shah Vs. Munir Shah] Appeal NO-

7/Jhalawar/1963, decided on 3 July 1967 esa Hkh fuEu rtcht nh xÅ gS :- (b) Raj- Tenancy Act, Sec- 55- Surrender-Scope and application of Legislative intent & Originally two modes of either by giving up possession or by execution of surrender deed in writing duly attested by Sarpanch etc- provided Provision mandatory and not only prescribed mode of attestation & After amendment only mode by delivery of possession accompanied by document in writing, duly attested by Tehsildar etc. imperative for valid surrender, page 37 to 41, (Paras 8 to 11). उपरोक्त तजबीज को सही बताते हुए RRD 1983 पेज 539 लगायत 548 Khuma Vs. Mandir Parasnathji - (172), Appeal No- 112 / Pali of 75, decided on 10th May, 1983 esa ; s vfHkfuëkkZfjr fd;k gS & (f) Raj- Tenancy Act- Sec- 55 - Surrender- Attestation-Delivery of possession by deft. held enough to constitute surrender & Evidence about surrender, accepted by Board even though so called surrender] not evidenced by writing, duly attested in manner laid down in Sec- 55 as held in 1966 RRD 31 (H.C.) (Para 21) एवं इसी तजबीज को RRD 1979 पेज 401 से 405 से retrate किया गया है जो निम्न प्रकार है

Phool Singh V/s Moti Lal, Appeal Nos- 344 - 345 / Alwar of 75, decided on 2nd April, 1979 esa ; g rtcht nh gS (c) Raj- Tenancy Act, Sec- 55 Surrender - Tobe made in favour of land holder and not of any person Surrender deed necessarily to be attested by Teh- Surrender rightly held to be invalid in abence of both pre- requisites. (Para 6). उपरोक्त नजीरों एवं नामान्तरकरण जो सिवाय चक भरा गया एवं आदेश अंकित किये गये एवं सरपंच ग्राम पंचायत से तस्दीक किया गया, (1) कब्जा छोड़ना एवं लिखित में सरेण्डर करना बखूबी प्रमाणित है। अतिरिक्त जिलाधीश चतुर्थ ने जो व्यवस्था दी है वो कानून सम्मत न होकर मनमानी एवं तथ्यों एवं दस्तावेजी रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने आम नागरिकों की शिकायत के क्रम में जो लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी उसमें क्रम संख्या 9 पर निम्न नजीर अंकित की गई थी

Revision No. 48/Tonk of 89, decided on 7 th March 1991	Gheesa & Ors. V. Balu & anr. Member Board of Revenue, Ajmer RRD 1991, page 234-237	(c) Rajasthan land Revenue Act, Section 75- An order passed u/s 55 of the Raj. Tenancy Act cannot be appealed against u/s 75 of the LJt Act. (Para 10)
---	--	--

लिहाजा तथाकथित जिला कलक्टर का आदेश राज्य सरकार को हानि पहुंचाने एवं राज्य सरकार के पक्ष को नहीं सुनने एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने के कारण क्षेत्राधिकार विहिन होने से उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

विशेष कथन :- प्रसंगगत भूमि में भूरा वल्द समरथा का कानूनी वारिस श्रवण सिंह भूरा ने इस भूमि को भूरा वल्द समरथा कौम दरोगा के नाम गलती से अंकित किया जाना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद में भी उस प्रार्थना पत्र का संज्ञान न लेते हुए तथ्यों के विपरीत एवं उक्त प्रार्थना पत्र के विपरीत निर्णय पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या (iii) :- न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 02/11/1966 को पुनः तहसीलदार फुलेरा को सूचित किया गया कि "उपरोक्त विषय में लेख है कि चारागाह घोषित किये जाने की दरखास्त नामंजूर की जाती है।" जिस पर खातेदार अधिकार निरन्तर माना जाना ही अधिक तार्किक है जिसकी कोई अपील नहीं की गई।

चुनौती का आधार :- तथाकथित जिला कलक्टर का आदेश राज्य सरकार को हानि पहुंचाने एवं राज्य सरकार के पक्ष को नहीं सुनने एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने के कारण क्षेत्राधिकार विहिन होने से उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि जहां भूमि विधिवत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी साभरलेक के आदेश

दिनांक 03/05/1962 एवं तहसीलदार फुलेरा के आदेश दिनांक 06/06/1962 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 16/09/1962 को समर्पण की कार्यवाही का दर्ज होकर तस्दीक हो गया एवं उसकी कोई अपील का कोई प्रावधान नहीं है तो जिला कलक्टर जयपुर ने दिनांक 02/11/1966 को जो आदेश पारित किये हैं वो क्षेत्राधिकार विहिन थे जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ ने आदेश पारित किया है उस बाबत निवेदन है कि जब मूल आदेश ही क्षेत्राधिकार विहिन थे तो उन पर पारित अधीनस्थ न्यायालय का यह नवीन आदेश दिनांक 20/03/2018 भी काबिल निरस्त है।

बिन्दु संख्या (iv) : यह कि उपखण्ड अधिकारी ने जो 28/05/1976 के आवंटन सलाहकार समिति के आदेश को उद्धरत करते हुए दिनांक 26/08/1982 को जो आदेश दिया है। वो आवंटन की तारीफ में आता है या नहीं।

चुनौती का आधार :- यह कि प्रथम तो उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश क्रमांक विविध (82)779 दिनांक 26/08/1982 में आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 28/05/1976 के निर्णय का अंकन किया है एवं पश्चात्पूर्ती उपखण्ड अधिकारी ने भी आवंटन सलाहकार समिति की बैठक जो मण्डामीसिंह में दिनांक 13/06/1984 को हुई उसमें पुनः आवंटन कार्यवाही दिनांक 28/05/1976 को रिपिट किया है लिहाजा उपरोक्त प्रकरण कृषि भूमि आवंटन का ही माना जायेगा।

बिन्दु संख्या (v) क्या यह भूमि राजकीय भूमि को आवंटन किये जाने का प्रकरण है उसमें है उसमें कार्यवाही विवरण दिनांक 28/05/1976 को उद्धरत किया गया एवं यह निष्कर्ष निकाला कि जिला कलक्टर जयपुर के आदेश एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय के क्रम में पुरानी खातेदारी को बहाल करते हुए सीधे खातेदारी प्रदान की गई है जिस पर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) लागू नहीं होते हैं।

चुनौती का आधार :- इस मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दी गई तजबीज सही नहीं है। यह भूमि न केवल आदेश पगरना अधिकारी सांभरलेक क्रमांक विविध (82) 779 दिनांक 26/08/1982 के अन्तर्गत आवंटन कमेटी दिनांक 28/05/1976 के अनुशंषा पर दिया गया आदेश नहीं बताया गया बल्कि पश्चात्पूर्ती उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने भी ग्राम पंचायत मण्डामीसिंह की आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13/06/1984 में भी उपरोक्त भूमि में दिनांक 26/08/1982 को दिये गये आदेश को आवंटन आदेश ही बताया गया है। अतः निष्कर्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर आवंटन सलाहकार समिति के मुखिया के आदेश दिनांक 26/08/1982 एवं दिनांक 13/06/1984 के विपरीत अवधारणा बनाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

बिन्दु संख्या (vi) :- यह कि विवादित भूमि पर वन विभाग के द्वारा किये गये वन विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमि पंचायत की या चारागाह की घोषित नहीं की जा सकती।

चुनौती का आधार :- यह कि वन विभाग द्वारा प्रसंगगत भूमि में सघन वृक्षारोपण हेतु खड़े खोद हुए हैं एवं सुरक्षा के डोल लगाया हुआ है एवं भूमि का खातेदार वर्तमान में भी समर्पण मानता है तो जनहित को नजर अन्दाज करके अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ ने जो निर्णय पारित किया है वो अपास्त किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या (vii) :- यह कि कब्जा काश्त के मामले में तहसीलदार को 14 (4) के स्थान पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए।

चुनौती का आधार :- यह कि यह निष्कर्ष की गिरदावरी कब्जे का आधार नहीं हो सकती। ये निष्कर्ष राजस्व विधान के विपरीत है। काश्तकार के लिए कब्जे का सबूत गिरदावरी एवं लगान की रसीद ही होती है जिसको महत्व नहीं दिया जाना अतिरिक्त जिला कलक्टर की नादानी के अलावा कुछ नहीं है। यह नसीहत की 14 (4) के बजाय धारा 63 में की जानी चाहिये थी आम जनता ने उपखण्ड सांभरलेक द्वारा पारित आदेश

दिनांक 26/08/1982 एवं पश्चात्पूर्वी उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 13/06/1984 को सदभावी आदेश मानते हुए कार्यवाही की है अतः मौखिक जो उपदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर ने दिये हैं इन दोनों लिखित आदेश व प्रोसेडिंग के विपरीत होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण 14 (4) का है अगर 63 का है वो कार्यवाही भी नामान्तरकरण संख्या 57 के अन्तर्गत दिनांक 16/09/1962 को ही हो चुकी थी तो अतिरिक्त जिला कलक्टर आम नागरिकों से क्या चाहते हैं इसकी जानकारी उपरोक्त निर्णय से नहीं हो रही है। अच्छा तो यह होता कि इस प्रकरण में तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 634 दिनांक 20/01/1983 का रेफरेन्स आरटीए की धारा 82 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ द्वारा प्रस्तुत करना चाहिये था। जो उन्होंने न करके वांछित कार्यवाही की जिम्मेदारी अन्य लोगों पर डालकर जो निर्णय पारित किया है उस अकेले निर्णय से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इस कारण आदेश दूषित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कि शिकायत पूर्व में 32 व्यक्तियों द्वारा की गयी थी लेकिन उनके मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण एवं अपील अवधि समाप्त होने जा रही है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह अपील न्यायहित में मात्र 8 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। अपील दिनांक 19/1189 20/5/18 दो दिन के अवकाश होने के कारण 20/5/18 के बजाय 21.05.2018 को पेश की जा रही है। अतः यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि पर कभी भी अलॉटी का कब्जा काशत नहीं रहा है, भूमि की खातेदारी भी गलत दी गयी एवं भूमि समर्पण के उपरान्त दौराने न्यायालय कार्यवाही अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ में भी समर्पण सही होने के बाबत भूरा वल्द समरथा के कायम मुकाम श्रवण सिंह ने लिखित में दिया कि इस भूमि से उसका कोई लेना देना नहीं है। अतः यह भूमि खसरा नम्बर 271, 272, 273, 275, 278 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि के बाबत दिया गया आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभलेक के क्रमांक विविध (82) 779 दिनांक 26/08/1982 के अन्तर्गत भरा गया नामान्तरकरण संख्या 634 दिनांक 6 जुलाई 1984 को निरस्त किया जाकर प्रसंगभूमि भूमि नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 16/09/1962 को बहाल रखा जावे। अतः यह अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन कमेटी की दिनांक 28.05.1976 की सलाह के अनुसार अपने आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 का आदेश पत्र से गत खातेदारान को पुनः आवंटन को निरस्त करने एवं प्रार्थना पत्र संख्या 203/2016 उनवानी आम जनता मण्डलीमिश्र वगै० बनाम भूरा वगै० न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 20.03.2018 निरस्त किया जावे।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के लिए निर्धारित कार्यवाही पूर्ण नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पैतृक अधिकार की रही है। उनके द्वारा इस पर खेती की जाती रही है। भूमि का स्वैच्छिक एवं लिखित समर्पण नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। इस मामले में आसामी के द्वारा अपने कब्जा छोड़ने के लेखपत्र का हवाला नहीं दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि आसामी द्वारा ऐसा कोई लेखपत्र लिखा गया था या नहीं एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी का आदेश किस सन्दर्भ में दिया गया है। यह भी कि धारा 56 के अनुसार कोई आसामी समर्पणकर्ता समर्पण करने से पहले भूमिधारी को धारा 55 के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने से पहले, इस प्रकार समर्पण करने वाला आसामी अपने इस आशय का कि वह समर्पण करेगा, एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को एक माह से कम से कम 30 दिन पहले देगा। इस प्रकरण में समर्पण करने से पहले इस तरह का कोई नोटिस जारी किया गया है अथवा नहीं बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि धारा 55 के तहत के उद्देश्य के लिए धारा 56 के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रियात्मक विधिक कार्यवाही की पूर्ति की गई है या नहीं। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये अनुसार इस भूमि के समर्पण का कब्जा लिया जाना अनिवार्य रहा है। इस प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें तथाकथित समर्पित भूमि का तहसीलदार द्वारा कब्जा लिया गया है अथवा नहीं। अभिभाक्त अप्रार्थीगण के द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय जिला

कलक्टर जयपुर के दो पत्र दिनांक 15.06.1966 तथा 02.11.1966 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के द्वारा जिलाधीश जयपुर के समक्ष एक मु. ता रजु दिनांक 15.06.1966 प्रस्तुत किया जिसमें जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामवासी उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि वे अपनी भूमि को चारागाह के लिए देने के लिए देने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्हें यदि दूसरी जमीन दे दी जावे तो वे इस जमीन को देने के लिए तैयार है। कलक्टर जयपुर के द्वारा इस स्थिति में असल कागजात वापस तहसील को लिखा गया कि यदि गांव वालों को इस जमीन की आवश्यकता है तो इन ग्रामवासियों को दूसरी भूमि का अलाट करने का प्रस्ताव पास करके फिर पत्रावली मारफत एस.डी.ओ. के माध्यम से उचित आदेश भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही एक अन्य आदेश दिनांक 02.11.1966 के द्वारा तहसीलदार को पत्र प्रि त कर सूचित किया गया कि ग्राम मण्डामीसिंह पुरा में गोघर भूमि छुड़ाने के मामले में चारागाह घो ित करने की दरखास्त को नामंजूर कर दिया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में ना तो जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा चारागाह के लिए भूमि का समर्पण स्वीकार नहीं किया गया तथा ना ही उक्त भूमि को चारागाह ही घो ित किया गया था। इसके विपरीत ग्रामवासियों के अनुरोध पर उन्हें अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से नया प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। जिला कलक्टर के इन निर्देशों की पालना की गई थी या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही चारागाह के लिए तथाकथित रूप से सिवायचक भूमि को चारागाह घोषित किये जाने की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी चारागाह नहीं रही है। इस प्रकरण में वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बर 271, 272, 273, 274, 275, 278 एवं 279 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा के लिए भूरा पुत्र समरथा कौम दरोगा, सा. देह मु. कदीम खातेदार आसामी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया है जो उचित व विधिसम्मत है। अतः यह अपील अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र संख्या 203/2016 निर्णय दिनांक 20.03.2018 उनवानी आम जनता मण्डामीसिंह वगै० बनाम भूरा पुत्र समरथा दरोगा (मृतक) वगै. न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 20.03.2018 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 की ग्राम मण्डामीसिंह के खसरा नम्बर 271 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 273 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 274 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 278 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 8 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा भूमि की चली आ रही खातेदारी को उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 03.05.1962 एवं तहसीलदार के आदेश क्रमांक 493/आर.ए. दिनांक 06.06.1962 के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 16.09.1962 द्वारा सिवायचक अंकित की गई। इस विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन कमेटी की दिनांक 28.05.1976 की सलाह के अनुसार अपने आदेश क्रमांक विविघ(82) 779 दिनांक 26.08.1982 का आदेश पत्र से गत खातेदारान को पुन उपलब्ध कराना उपयुक्त मानते हुए अंत तक का बकाया लगान वसूल करने पर उन्हें वापस दिया जाना स्वीकार किया गया। जिससे जाहिर है कि एक बार भूमि के समर्पण किये जाने, भूमि का नामान्तरकरण सिवायचक अंकित हो जाने के 20 वर्ष बाद, 28.07.1976 को आवंटन सलाहकार समिति का सन्दर्भ अंकित करते हुए जिसकी कि प्रोसिडिंग दिनांक 28.05.1976 को अंकित नहीं है प्रकरण में दिनांक 28.05.1976 को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा किये गये निर्णयों के अनुसार केवल ग्राम मण्डामीसिंह की राजकीय उच्च प्राथमिक शाला की आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 471 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 472 रकबा डेड बीघा परिवर्तन के तहत आवंटित की गई है एवं भूरा पुत्र समरथा राजपूत के

बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ था, के लिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 26.08.1982 का आदेश Ab-initio void and illegal है। खातेदार के समर्पण किये जाने के बाद भूमि सिवायचक ही रहेगी। दिनांक 08.06.1962 के बाद उक्त भूमि पर खातेदारान द्वारा कोई काश्त नहीं की गई है। यह भूमि स्वेच्छा से सरेण्डर की जाकर चारागाह उपयोग के लिए छोड़ी गई थी। भूमि पर खेती नहीं होने तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु पशुधन की चराई के उपयोग में यह भूमि चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में बंजड अंकित है। राज. का तकारी अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत सरेण्डर की गई भूमि सिवायचक अंकित हो जाने के बाद पूर्व खातेदार को भूमि का पुनः आवंटन नहीं किया जा सकता है। 1970 के नियमों के नियम 11 के तहत अलाटमेंट हेतु पात्र व्यक्तियों को ही आवंटन किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी ने कृ. 1 भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 13 के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के बिना की गई उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर आवंटन पात्र व्यक्तियों को की जानी चाहिए थी। सलाहकार समिति की राय के बिना की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकारीविहीन होने से निरस्त योग्य है। बिना कब्जे काश्त की विवादित भूमि के लिए वापिस किये जाने की कार्यवाही के लिए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.1982 without एवं jurisdiction illegal होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 से गत खातेदारान को पुनः आवंटन एवं प्रार्थना पत्र संख्या 203/2016 उनवानी आम जनता मण्डलीमसिंह वगै० बनाम भूरा पुत्र समरथा दरोगा(मृतक) वगै० न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2018 निरस्त किया जाता है एवं उक्त आवंटन आदेश दिनांक 26.08.1982 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे।

(डॉ० आरुमी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।